संख्या-7/2017/364/94-स्टा0नि0-2-2017-500(5)/91 टी0सी0

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) अध्यक्ष,
राजस्व परिषद्,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(2) महानिरीक्षक, निबंधन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 30 मई, 2017

विषय: भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-56(1-क) के अंतर्गत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियों के प्रतिनिधायन के उपरांत स्टांप कमी की अपीलों की सुनवाई के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या:1024/94-स्टा0नि0-2-2017-500(5)/91 टी0सी0, दिनांक 28 नवम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 से निर्गत अधिसूचना संख्या: 24/2016/889/94-स्टा0नि0-2-16-500(5)/91 टी0सी0, दिनांक 16.09.2016 के अनुक्रम में न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद् एवं उपायुक्त, स्टाम्प के मध्य स्टाम्प शुल्क की कमी से संबंधित अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया के संबंध में निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2. वर्तमान में शासन द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 16.09.2016 का अधिक्रमण करते हुए स्टाम्प कमी के वादों की अपीलों की सुनवाई की अधिकारिता के संबंध में अधिसूचना संख्या: 5/2017/299/94-स्टा0नि0-2-2017-500(5)/91 टी0सी0, दिनांक 24.05.2017 जारी की गयी है।

3- अत: उक्त अधिसूचना दिनांक 24.05.2017 के जारी होने के उपरांत इस संबंध में निर्गत पूर्व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए स्टाम्प वादों की अपीलों की सुनवाई के संबंध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जा रही है:

(i) राजस्व परिषद् में विचाराधीन समस्त प्रकरण (इस संबंध में राजस्व परिषद् द्वारा उनकी अधिकारिता के अधीन) सदस्य अथवा न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद् द्वारा सुने जा सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) राजस्व परिषद् के समक्ष पूर्व से विचाराधीन रू0 25 लाख से कम की अंतर्ग्रस्त धनराशि के प्रकरण पक्षकार की इच्छा पर राजस्व परिषद् में ही अथवा संबंधित मण्डल न्यायालय में मण्डलायुक्त/ अपर मण्डलायुक्त/ उप स्टाम्प आयुक्त के न्यायालय में सुने जा सकेंगे, जैसा कि मण्डलायुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(iii) समस्त उप स्टाम्प आयुक्त द्वारा अपने न्यायालय में विचाराधीन समस्त अपीलों/ पुनरीक्षणों की सूची मण्डलायुक्त, स्टाम्प को प्रस्तुत की जायेंगी तथा संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.05.2017 में प्रदत्त अधिकारिता के अनुरूप उक्त वादों के विभिन्न न्यायालयों में अंतरण की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(iv) मण्डलायुक्त द्वारा उक्त अपीलों/ पुनरीक्षणों के अंतरण करते समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि चूँकि उपायुक्त, स्टाम्प पूर्णतया स्टाम्प वादों के निस्तारण के लिए उपलब्ध है, अत: उनके न्यायालय में समुचित संख्या में (कम से कम 200) वाद सुनवाई के लिए उपलब्ध रहें। उससे अधिक संख्या में वाद होने पर अपर मण्डलायुक्त के न्यायालय में अंतरित किये जायेंगे, जब तक कि ऐसा न करने का कोई अन्य प्रशासनिक कारण आयुक्त के स्वविवेक के अनुसार उपलब्ध न हो।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(**अनिल कुमार**)
प्रमुख सचिव।

संख्या:7/2017/364(।)/94-स्टा0नि0-2-2017500(5)/91 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त उप महानिरीक्षक/ सहायक महानिरीक्षक, निबंधन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(**अनिल कुमार**)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।